न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 84/2026

01. भोमाराम पुत्र श्री चावड राम जाति मेघवाल निवासी चक 7 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान। .....

वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....
प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–22.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के पिता के नाम से चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नं. 153/17 में कुल 6.1960 हैक्ट. कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी के दादा का नाम पीरजी लिखा गया जबकि प्रार्थी के पिता को जब यह कृषि भूमि आवंटन हुई उस समय मूल पट्टे में चावड राम पुत्र भारताराम अंकित है। उक्त रकबे पर वादी लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादी के पिता चावडराम अनपढ़ है। इसलिए उक्त गलत लिखे गये नाम का पता नहीं चला और चावड राम पुत्र पीरजी अंकन हो गया। वादी उक्त रकबे के पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया की आपके दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में पीरजी अंकन है। वादी के पिता चावड राम द्वारा जानबूझ कर अपने पिता का नाम गलत अंकन नहीं करवाया गया जिससे वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकार्ड में अपने दादा का नाम शुद्ध व दूरूस्त करवाना चाहता हैं। वादी के दादा का नाम पानी की पर्ची, मूल पट्टा में भारताराम नाम ही अंकन है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में दादा का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पीरजी की जगह भारताराम की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के दादा का नाम रकबा तहसील खाजूवाला के चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नं. 153/17 में कुल 6.1960 हैक्टेयर कमाण्ड पुख्ता आवंटन भूमि में दादा का नाम पीरजी के बजाय भारताराम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमावे का निवेदन किया गया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पासबुक की प्रति, आवंटन आदेश प्रति व आबियाना रसीद प्रस्तुत जिसके अनुसार पीरजी सहवन से उक्त भूमि में दर्ज हो गया था। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आदेश चक 7 केएलडी मु0नं0 153/17 रकबा 25.00 बीघा चाउड़राम पुत्र भारतो मेघवाल सा0 इन्दोका तहः जोधपुर अंकित है। किरपाराम पुत्र चावड राम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रोका, तहसील पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी मु0नं0 153/17 में कुल 6.1960 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी के दादा का नाम पीरजी की जगह भारताराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पीरजी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पीरजी नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी के दादा का नाम पीरजी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)